

सतत् वत्ति

प्रलिमिन्स के लिये:

कार्बन मार्केट, MSME, नयामक सैंडबॉक्स ।

मेन्स के लिये:

सतत् वत्ति, अंतर्राष्ट्रीय वत्तितीय सेवा केंद्र प्राधकिरण ।

चर्चा में क्यों?

[अंतर्राष्ट्रीय वत्तितीय सेवा केंद्र प्राधकिरण \(IFSCA\)](#) द्वारा गठित सतत् वत्ति पर एक समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें [कार्बन मार्केट](#) के विकास का सुझाव दिया गया है ।

सतत् वत्ति:

- नविश नरिणय के ऐसे वकिल्प जो एक आर्थिक गतविधि के पर्यावरणीय, सामाजिक और शासकीय(ESG) कारकों का ध्यान रखते हैं, उन्हें सतत् वत्ति कहा जाता है ।
 - पर्यावरणीय कारकों में जलवायु संकट को कम करना या सतत् संसाधनों का उपयोग शामिल है । सामाजिक कारकों के अंतर्गत मानव और पशु अधिकार, साथ ही उपभोक्ता संरक्षण शामिल हैं ।
 - शासकीय कारक सार्वजनिक और नजी दोनों संगठनों के प्रबंधन, कर्मचारी संबंधों और मुआव की पद्धतियों को संदर्भित करते हैं ।

समितिके सुझाव:

- एक स्वैच्छिक कार्बन बाज़ार का नरिमाण, संक्रमण बॉण्ड के लिये ढाँचा, जोखिम कम करने वाले तंत्र को सक्रम बनाना। [ग्रीन फनिटेक](#) के लिये [नयामक सैंडबॉक्स](#) को प्रोत्साहित करना और दूसरों के बीच वैश्विक जलवायु गठबंधन के नरिमाण की सुविधा प्रदान करना है ।
- सतत् ऋण के लिये एक समरूपति [MSME \(सुकषम, लघु और मध्यम उद्यम\)](#) का नरिमाण ।
- आपदा बॉण्ड, नगरपालिका बॉण्ड, हरति प्रतभूतकिरण, मशिरति वत्ति जैसे अभनव उपकरणों के उपयोग को सुविधाजनक बनाना ।
- IFSC में एकत्रीकरण सुविधाओं, प्रभाव नधियों, ग्रीन इक्विटी आदि को सक्रम करना ।
- वत्तितीय प्रणाली को हरति बनाने की नीव रखने के लिये [IFSCA](#) को कषमता नरिमाण में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभाने की आवश्यकता है ।

IFSCA:

- स्थापना:
 - IFSCA की स्थापना अपरैल 2020 में [अंतर्राष्ट्रीय वत्तितीय सेवा केंद्र प्राधकिरण वधियक, 2019](#) के तहत की गई थी ।
 - इसका मुख्यालय गांधीनगर (गुजरात) की [गफिट सिटी \(GIFT City\)](#) में स्थति है ।
- भूमिका:
 - यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय वत्तितीय सेवा केंद्र (IFSC) में वत्तितीय उत्पादों, वत्तितीय सेवाओं और वत्तितीय संस्थानों के विकास तथा वनियमन के लिये एक एकीकृत प्राधकिरण है ।
 - वर्तमान में गुजरात के GIFT सिटी में स्थति IFSC भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय वत्तितीय सेवा केंद्र है ।
 - IFSCA की स्थापना से पूर्व घरेलू वत्तितीय नयामक यथा [RBI](#), [SEBI](#), [भारतीय बीमा वनियामक और विकास प्राधकिरण \(IRDAI\)](#) तथा [पेंशन फंड नयामक एवं विकास प्राधकिरण \(PFRDA\)](#) IFSC में व्यवसाय को वनियमति करने का कार्य करते थे ।
- सदस्य:
 - अंतर्राष्ट्रीय वत्तितीय सेवा केंद्र प्राधकिरण में कुल नौ सदस्य होते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नयुक्त कथिा जाता है ।

- इनमें प्राधिकरण का अध्यक्ष, **RBI, SEBI, IRDAI** और **PFRDA** का एक-एक सदस्य तथा वित्त मंत्रालय के दो सदस्य होते हैं। इसके अलावा चयन समिति की सफ़ारिश पर दो अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है।

कार्यकाल:

- IFSCA के सभी सदस्यों का कार्यकाल तीन साल का होता है, जो पुनर्नियुक्ति के अधीन होता है।

कार्बन मार्केट:

- **कार्बन मार्केट** वैश्विक उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से कार्बन उत्सर्जन को खरीदने और बेचने की अनुमति देते हैं।
- क्योटो प्रोटोकॉल के तहत कार्बन मार्केट मौजूद थे, जिसे वर्ष 2020 में **पेरिस समझौते** के उपरांत बदला जा रहा है।
- कार्बन मार्केट संभावित रूप से उत्सर्जन में कटौती कर सकते हैं, यह कार्य देश अपने दम पर कर रहे हैं।
 - उदाहरण के लिये **भारत में ईट भट्टे का प्रौद्योगिकी उन्नयन और उत्सर्जन में कमी दो तरीकों से की जा सकती है:**
 - वकिसति देश जो अपने कमी के लक्ष्य को पूरा करने में असमर्थ है, वह **भारत में ईट भट्टे को धन या प्रौद्योगिकी प्रदान कर सकता है और इस प्रकार उत्सर्जन में कमी का दावा कर सकता है।**
 - वैकल्पिक रूप से भट्टे पर नविश कर सकता है फिर उत्सर्जन में कमी कर बिक्री की पेशकश कर सकता है, जिससे कार्बन क्रेडिट कहा जाता है। इसके साथ ही पार्टी जो अपने स्वयं के लक्ष्यों को पूरा करने के लिये संघर्ष कर रही है, इन क्रेडिटों को खरीद सकती है और इन्हें अपना क्रेडिट स्कोर दिखा सकती है।

भारत सरकार की संबंधित पहलें:

- **प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (PAT) योजना:** सरकार ने 13 ऊर्जा गहन क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन में कमी को लक्ष्य करते हुए **PAT योजना** शुरू की है।
- **वैदेशी पूंजी को प्रोत्साहित करना:** सरकार ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में स्वतः मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक **प्रत्यक्ष वैदेशी निवेश (FDI)** की अनुमति दी है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित:**
 - सरकार ने परियोजनाओं के लिये सौर और पवन ऊर्जा की अंतर-राज्यीय बिक्री के लिये अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (ISTS) शुल्क माफ कर दिया है।
 - **अक्षय खरीद दायित्व (RPO)** के लिये प्रावधान करना और अक्षय ऊर्जा पार्कों की स्थापना करना।
- **भारत का राष्ट्रीय स्तर पर नरिधारति योगदान:** पेरिस समझौता, जिसे वर्ष 2015 में हस्ताक्षरकर्त्ता देशों द्वारा अपनाया गया था, के तहत भारत ने नरिधारति लक्ष्यों के साथ **राष्ट्रीय स्तर पर नरिधारति योगदान (NDC)** प्रस्तुत किया था।
 - अपने **सकल घरेलू उत्पाद (GDP)** की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक 33-35% तक कम करना।
 - वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40% संचयी वदियुत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करना।
 - वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्षों के आवरण के माध्यम से 2.5-3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सकि बनाना।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. कार्बन क्रेडिट की अवधारणा नमिनलखिति में से कसि एक से उत्पन्न हुई है? (2009)

- पृथ्वी शखिर सम्मेलन, रयिो डी जनेरयिो
- क्योटो प्रोटोकॉल
- मॉन्ट्रयिल प्रोटोकॉल
- जी -8 शखिर सम्मेलन, हेलीगंडम

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- वर्ष 1997 में अपनाया गया क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष 2005 में लागू हुआ। यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो वर्ष 1992 के संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) का वसितार करती है जो वैज्ञानिक सहमति के आधार पर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिये पार्टियों को प्रतबिद्ध करती है।
 - **क्योटो प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 17** में नरिधारति उत्सर्जन व्यापार उन देशों को **कार्बन व्यापार की अनुमति देता है जिनके पास उत्सर्जन इकाइयाँ** हैं, लेकिन उन देशों को इस अतिरिक्त क्षमता को बेचने के लिये उपयोग नहीं किया जाता है जो उनके लक्ष्य से अधिक हैं।
 - कार्बन क्रेडिट माप की एक इकाई है, जो **किसी संस्था/कंपनी अथवा किसी देश** को दिया गया क्रेडिट है, यदवि अपने GHG उत्सर्जन (CO₂ समकक्ष) को 1 इकाई से कम करते हैं। यह **क्योटो प्रोटोकॉल के तहत स्वच्छ विकास तंत्र (Clean Development Mechanism-CDM) के माध्यम से** प्रदान किया जाता है, जो **"कार्बन बाज़ार"** की सुवधि प्रदान करता है।
- **रयिो डी जनेरयिो** पृथ्वी शखिर सम्मेलन, या रयिो शखिर सम्मेलन, जून 1992 में रयिो डी जनेरयिो में आयोजित एक प्रमुख संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

था।

- शिखर सम्मेलन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पर एक समझौते के साथ संपन्न हुआ, जिसके कारण **क्योटो प्रोटोकॉल** और **पेरिस समझौता** हुआ।
- एक अन्य समझौता "**स्वदेशी लोगों की भूमि पर ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं करना था जो पर्यावरणीय क्षरण का कारण बने या जो सांस्कृतिक रूप से अनुपयुक्त हो**"।
- शिखर सम्मेलन में **वकिसति दस्तावेज़ पर्यावरण और विकास पर रथो घोषणा, एजेंडा 21, वन संधि** शामिल हैं।
- **मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल** ओज़ोन परत के संरक्षण के लिये **वयिना कन्वेंशन** का एक प्रोटोकॉल है। यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, जिसे ओज़ोन परत की रक्षा के लिये डिज़ाइन किया गया है, जो ओज़ोन रिक्रिकरण हेतु ज़िम्मेदार माने जाने वाले **कई पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त** कर देता है।
- **हेलीगैंडम** में आयोजित **33वें G8 शिखर सम्मेलन** का परिणाम **हेलीगैंडम प्रक्रिया** था। यह प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ **प्रासंगिक मुद्दों पर वार्त्ता** शुरू करने के लिये की गई थी।
- **चार प्रमुख लक्ष्य क्षेत्र:**
 - नवाचार को बढ़ावा देना और उसकी रक्षा करना;
 - एक खुले नविश वातावरण के माध्यम से नविश की स्वतंत्रता को मज़बूत करना, जिसमें कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी के संधिधितों को मज़बूत करना शामिल है;
 - विकास के लिये संयुक्त ज़िम्मेदारियों का निर्धारण, विशेष रूप से अफ़्रीका पर ध्यान केंद्रित करना;
 - CO₂ उत्सर्जन को कम करने में योगदान देने के उद्देश्य से ऊर्जा दक्षता और प्रौद्योगिकी सहयोग में सुधार के लिये संयुक्त पहुँच।

अतः विकल्प (b) सही है।

??????:

प्रश्न. क्या कार्बन क्रेडिट के मूल्य में भारी गरिवट के बावजूद जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (UNFCCC) के तहत स्थापित कार्बन क्रेडिट और स्वच्छ विकास तंत्र को बनाए रखा जाना चाहिये? आर्थिक विकास के लिये भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के संबंध में चर्चा कीजिये। (2014)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/sustainable-finance>

